ई0 गवर्नेन्स सोसाईटी (एल0आर0सी0) अम्ब, तहसील अम्ब, जिला ऊना के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 2/2006 से 3/2011

भाग–एक

1 प्रारम्भिकः–

(क) हिमाचल प्रदश सरकार द्वारा अधिूसचना संख्या टी0पी0टी0–एफ(1) 3/2000 –ई–गवर्नेस दिनॉक 3.9.2005 के अन्तगत ई0 गवर्नेस सोसाईटीयों की स्थापना तथा आय–व्यय एवं अन्य अभिलेख रखने से सम्बन्धित दिशा निर्देश जारी किए गए। ई0 गवर्नेस सोसाईटी (एल0आर0सी0) अम्ब की स्थापना बारे निर्णय माननीय उपायुक्त एवं अध्यक्ष ई0–गवर्नेस सोसाईटी ऊना की अध्यक्षता में दिनॉक 4.1.2005 को हुई बैठक की मद संख्या 2 में लिया गया तथा सैन्टर में मास 2/2006 से विधिवत रूप से कार्य आरम्भ किया। ई0गवर्नेस सोसाईटी (एल0आर0सी0) अम्ब द्वारा तीन शीर्षों में आय प्राप्त की जा रही है उनका विवरण निम्नानुसार हैः–

भीर्ष	आरम्भ होने की तिथि
1 एल0आर0सी0	3/2006
(i) ई प्रमाण पत्र	11/2006
(ii) नकल जमा बन्दी	
2 एल0आर0सी0 रजिस्ट्रेशन (हिमरिस)	2/2006
3 एल0आर0सी0 (उपायुक्त से प्राप्त अनुदान)	6/2006

(ख) श्री सुनील कुमार ऑगरा सहायक निदेशक का दिनॉक 22.7.2011 का निरीक्षण प्रतिवेदन (फिन–(एल0ए0)एच(2)सी(15)(14)276/2011–खण्ड–1–4676 दिनांक 12. 8.2011)

1	पैरा–1 (i) (ii) (iii)	अनिर्णीत	
2	पैरा–2	निर्णीत	(अंकेक्षण के दौरान खाताबही तैयार कर दी गई)
3	पैरा–3	अनिर्णीत	
4	पैरा–4	अनिर्णीत	
5	पैरा–5	अनिर्णीत	
6	पैरा–6	अनिर्णीत	

भाग—दो

2 वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदनः—

एल0आर0सी0 अम्ब का अवधि 2/2006 से 3/2011 का वर्तमान अंकेक्षण जिसके परिणाम अनुवर्ती पैरों में दिए गए है, श्री जितेन्द्र सिंह अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनॉक 4.8.2011 से 9.8.2011 तक तथा श्री संजीव कुमार कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनॉक 4.8.2011 से 16.8.2011 तक अम्ब में किया गया। एल0आर0सी0 (ई प्रमाण पत्र एवं नकल जमाबन्दी) अम्ब की आय व व्यय की विस्तृत पड़ताल हेतु मास 3/2006, 11/2006, 9/2007, 10/2008, 9/2009, 9/2010, 2/2007, 10/2007, 10/2008, 1/2011, एल0आर0सी0 (हिमरिस) अम्ब का मास 3/2006, 12/2006, 7/2007, 6/2008, 2/2010, 6/2010, 1/2007, 10/2007, 4/2008, 7/2010 तथा एल0आर0सी0 अम्ब (उपायुक्त ऊना से प्राप्त अनुदान) का मास 6/2006, 7/2007, 8/2009, 8/2010, 1/2007, 10/2007, 5/2008, 8/2009 का चयन किया गया।

"The audit report has been prepared on the basis of information furnished and made available by the controlling officer of the institution. The office of LAD disclaims any responsibility for any misinformation or non-information on the part of auditee."

अंकेक्षण अवधि के दौरान एल0आर0सी0 अम्ब में निम्नविवरणानुसार आहरण एवं वितरण अधिकारी कार्यरत रहेः—

क्र0सं0	आहरण एवं वितरण अधिकारी का नाम	अवधि
1	श्री सन्तोष कुमार तहसीलदार	2/2006 से 2.5.2007
2	श्री केसर राम तहसीलदार	14.5.2007 से 7.5.2009
3	श्री धनवीर ठाकुर तहसीलदार	8.5.2009 से 17.9.2009
4	श्री बलदव चन्द तहसीलदार	25.9.2009 से 31.3.2011

3 अंकेक्षण शुल्कः—

एल0आर0सी0 अम्ब के लेखाओं अवधि 2/2006 से 3/2011 का अंकेक्षण शुल्क ₹5900/—ऑका गया। उपमण्डलाधिकारी अम्ब जिला ऊना को अनुभाग अधिकारी की अधियाचना संख्या 154/2011 दिनॉक 26.8.2011 द्वारा उक्त शुल्क की राशि को निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश शिमला—9 को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट द्वारा भेजने का अनुरोध किया गया।

4 वित्तीय विवरण (तुलन पत्र):–

एल0आर0सी0 अम्ब की अवधि 2/2006 से 31.3.11 की वित्तीय स्थिति का विवरण परिशिष्ट–"क" के पृष्ठ संख्या 1 से 4 पर संलग्न है।

5 ₹10400/–का अनियमित भुगतानः–

मुख्य प्रशासक ई–गवर्नेस सोसाईटी ऊना की अध्यक्षता में दिनांक 7.9.2009 को हुई बैठक की मद संख्या 8.6 द्वारा निम्नलिखित प्रस्ताव अनुमादित किया गया, "The additional Chief Administrator and Administrator shall be competent to incur expenditure on entertinment and hospitailty upto a monthly Cealing of ₹1000/-, Tehsildar and Naihb Tehsildar may also incur expenditure on the experts/ Govt. servents visiting their offices in connecdtion with E.Governance project. In case it exceeds the prescribed limit, the approval of Chief Administrator shall be necessary."

परन्तु जॉच मे पाया गया कि आतिथ्य सत्कार का भुगतान स्थाई भत्ते के रूप मे निम्न विरणानुसार किया गया जो कि अनियमित है। अतः स्थाई भत्ते के रूप में दी गई राशि की वसूली सम्बन्धित अधिकारी से करनी सुनिश्चित की जाए।

वेतन पंजिका रजिस्टर पृ0सं0	नाम	अवधि	राशि
10	बलदेव चन्द (तहसीलदार)	10/09 से 5/10	500x8=₹4000
10	बलदेव चन्द (तहसीलदार)	6/10 से 10/10	500x5=₹2500
10	ओंकार नाथ (नायब तहसीलदार)	10/09 से 5/10	300x8=₹2400
10	ओंकार नाथ (नायब तहसीलदार)	6/10 से 10/10	300x5=₹1500
		योग	**₹10400**

एल0आर0सी0 (ई प्रमाण एवं नकल जमा बन्दी)

6 ₹70,263/–के बिल अभिलेख में उपलब्ध न होनाः–

निम्नानुसार क्रय की गई स्टेशनरी के मूल बिल/वाउचर तथा सक्षम अधिकारी की स्वीकति/अनुमोदन आवश्यक जॉच हेतु अंकेक्षण में उपलब्ध नहीं करवाए गए जिसके अभाव में किए गए व्यय को वैध नहीं ठहराया जा सकता। अतः अपेक्षित अभिलेख सत्यापनार्थ आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किए जाए अन्यथा किए गए व्यय की वसूली उचित स्त्रोत से सुनिश्चित की जाए।

मास	राशि	टिप्पणी
2/2010	11,300.00	–
3/2010	10,950.00	–
	535.00	कार्यालय प्रभार
6/2010	23,380.00	–
10/2010	24,098.00	–
योग	**₹70,263.00**	

7 ₹78,978/–का अनुचित प्रभारः–

हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या टी0पी0टी0एफ0 (1) 3/2000–ई0 गवर्नेस दिनॉक 3.9.2005 द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार निम्नानुसार किया गया व्यय ई गवर्नेस निधि पर अनुचित प्रभार है। इसके अतिरिक्त क्रय की गई मदो की भण्डार प्रविष्टियॉ भी नहीं की गई है। अतः किए गए अनुचित व्यय की वसूली उचित स्त्रोत से सुनिश्चित की जाए।

क्र0 सं0	फर्म का नाम	बिल संख्या दिनांक	विवरण	मात्रा	राशि	टिप्पणी
1	एग्रो इन्डस्ट्रीज कारपोरेशन	094940, 27.12.2010	ई0पी0ए0बी0 एक्स	1 नं0	47,355	–
2	मै0 रजनीश इलैक्ट्रोनिक्स ऊना	513, 17.1.2011	साऊड सिस्टम	1 नं0	31,623	(क्रय बिना निविदाएं बुलाए खुले बाजार से किया गया।)
				योग	**₹78,978**	

8 ₹40,884/–के भुगतान बारेः–

माह 1/2011 में निम्न बिलों के अन्तर्गत क्रय की गई स्टेशनरी, कम्पयूटर की मदों, टोनर इत्यादि का भुगतान किया गया परन्तु क्रय की गई मदों को भण्डार पंजिका में दर्ज नहीं किया गया और न ही इन मदों को उपयोग करने बारे अभिलेख अंकेक्षण में उपलब्ध करवाए गए जिस बारे इस विभाग को अवगत करवाया जाए अन्यथा किए गए व्यय की वसूली उचित स्त्रोत से करनी सुनिश्चित की जाए।

	फर्म का नाम	बिल संख्या व दिनांक	राशि
1	मैसर्ज देव कम्पयूटर्ज अम्ब	(i) 151, 10.4.2010	1750
		(ii) 155, 20.4.2010	900
		(iii) 159, 24.4.2010	1050
		(iv) 164, 8.5.2010	1400
		(v) 169, 24.5.2010	900
		(vi) 170, 28.5.2010	700
		(vii) 174, 18.6.2010	1750
		(viii)177, 25.6.2010	1825
		(ix)179, 30.6.2010	1050
		(x)180, 20.7.2010	1400
		(xi)184, 10.8.2010	1400
		(xii)185, 18.8.2010	900
		(xiii)186, 6.9.2010	1050
		(xiv)189, 20.9.2010	1400
		(xv)191, 20.9.2010	550
		(xvi)190, 20.9.2010	990
		(xvii)192, 3.10.2010	1400
2	मैसर्ज यूनिवर्सल कम्पयूटरर्ज ऊना	311, 7.10.2010	20559
		योग	**₹40,884**

9 कम्पयूटर क्रय करने बारेः–

एल0आर0सी0 अम्ब द्वारा निम्न विवरणानुसार निविदाएं आमन्त्रित करके खुले बाजार से कम्पयूटर का क्रय किया गया जबकि कम्पयूटरों का क्रय हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार हिमाचल प्रदेश स्टेट इलैक्ट्रोनिक्स कारपोरेशन से किया जाना वांछित था परन्तु कम्पयूटरों का क्रय उक्त विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र लिए बिना किया गया। इसके अतिरिक्त विभिन्न फर्मों द्वारा दी गई निविदाएं किसी भी अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित/अनुमोदित नहीं की गई थी तथा क्रय किए गए कम्पयूटरों को भण्डार रजिस्टर में दर्ज भी नहीं किया गया है जिसके बारे में अपेक्षित कार्रवाई करके नियमानुसार इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

क्र0 सं0	फर्म का नाम	बिल संख्या व दिनांक	मद का नाम	मात्रा	दर	राशि
1	मैसर्ज यूनिवर्सल कम्पयूटर ऊना	313, 23.12.2009	कम्पयूटर व एक्सैसरी	1 नं0	36,800	36,800
2	–यथोपरि–	439, 13.12.2010	कम्पयूटर	1 नं0	37,160	37,160
3	मैसर्ज हिमाचल इन्फोटेक ऊना	105, 2.2.2010	प्रिंटर	1 नं0	46,368	46,368
						₹1,20,328

10 ₹91401/–की पावती रसीदें प्रस्तुत न करनाः–

एल0आर0सी0 अम्ब द्वारा ई0 गवर्नेस सोसाईटी ऊना को माह 2/2007 में ₹91,401/–का भुगतान किया गया परन्तु किए गए भुगतान के समर्थन में रसीदें सत्यापनार्थ हेतु प्राप्त नहीं की गई जिसे अब प्राप्त करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

11 एल0आर0सी0 अम्ब द्वारा ई0 गवर्नेस सोसाईटी ऊना से प्राप्त ₹1,73,396/–की स्टेशनरी के अभिलेख के बारे में:–

एल0आर0सी0 अम्ब ने ई0 गवर्नेस सोसाईटी ऊना से निम्नानुसार स्टेशनरी प्राप्त की थी परन्तु प्राप्त की गई स्टेशनरी को भण्डार रजिस्टर में दर्ज नहीं किया गया जिसके अभाव में स्टेशनरी की खपत की पुष्टि नहीं की जा सकी। वास्तव में स्टेशनरी का भुगतान ई0 गवर्नेस सोसाईटी ऊना द्वारा किया गया था परन्तु अभिलेख में उपलब्ध बिलों की फोटो प्रतियों से स्पष्ट है कि आपूर्ति एल0आर0सी0 अम्ब द्वारा प्राप्त की गई है। अतः वांछित अभिलेख तैयार न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा अविलम्ब अपेक्षित अभिलेख तैयार करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

फर्म का नाम	बिल संख्या व दिनांक	राशि	एल0आर0सी0 द्वारा स्टेशनरी प्राप्त करने की तिथि
मेसर्ज यूनिवर्सल बुक डिपो	(i) 1865, 21.2.09	15184	26.2.09
ऊना	(ii) 1276, 26.5.08	32292	29.5.08
मैसर्ज परमदयाल बुक स्टोर	(i) 286, 3.6.08	58,393	4.7.08
ऊना	(ii) 199, 3.6.08	42,998	4.7.08
	(iii) 572, 15.6.09	24,529	24.6.09
		₹1,73,396	

12 ₹67189/–की स्टेशनरी क्रय करने बारेः–

एल0आर0सी0 अम्ब द्वारा निम्नानुसार दर्शाए गए वर्षों में क्रय की गई ₹67,189/–की स्टेशनरी की प्राप्ति/खपत की पुष्टि अभिलेख के अभाव में नहीं की जा सकी। अतः वांछित अभिलेख तैयार किया जाए तथा अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए तथा यह भी सुनिश्चित किया जाए कि भविष्य में स्टेशनरी की मदों का क्रय, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग हिमाचल प्रदेश से किया जाए।

वर्ष	राशि
2006707	11,170
2007–08	14,720
2008–09	26,574
2009–10	14,725
योग	**₹67,189**

13 ₹950/–का अनुचित प्रभारः–

हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्याः टी0पी0टी0एफ0(1)3/2000–ई गवर्नेस दिनॉक 3.9.2005 द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार निम्नानुसार किया गया व्यय ई0 गवर्नेस निधि पर अनुचित प्रभार है जिसकी वसूली उचित स्त्रोत से सुनिश्चित की जाए।

क्र0सं0	टैक्सी मालिक/चालक का नाम	दिनांक	विवरण	राशि
1	श्री सुखविन्द्र सिंह	29.6.06	टैक्सी चार्ज	500
2	श्री विपन कुमार	16.10.06	टैक्सी चार्ज	450
			योग	**₹950**

14 निविदाएं आमन्त्रित किए बिना क्रय करनाःः–

एल0आर0सी0 अम्ब द्वारा खुले बाजार से नियमानुसार निविदाएं बुलाए बिना ही अधिकांश क्रय किया गया जिसके बारे में इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

एल0आर0सी0 रजिस्ट्रेशन (हिमरिस) अम्ब

15 ₹27,500/–का अनुचित प्रभारः–

हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या टी0पी0टी0एफ0(1)3/2000–ई गवर्नेस दिनांक 3.9.2005 द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार निम्नानुसार किया गया व्यय ई गवर्नेस निधि पर अनुचित प्रभार है। इसके अतिरिक्त इसके अतिरिक्त क्रय की गई मदों की भण्डार प्रविष्टियॉ भी नहीं की गई जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए। अतः ऐसे व्यय की वसूली उचित स्त्रोत से सुनिश्चित की जाए।

क्र0सं0	फर्म का नाम	बिल संख्या व दिनांक	विवरण	मात्रा	दर	राशि	टिप्पणी
1	मैसर्ज सूर्या इन्ट्रप्राईजिज ऊना	90, 11.11. 2010	रिवोलिंवग चेयर	3 नं0	–	2500	क्रय बिना निविदाओं के खुले बाजार से किया गया।
2	मैसर्ज राजेश टैक्सी सर्विस अम्ब	4, 26.11.2010	टैक्सी चांर्जिज	–	–	2500	–
					योग	₹27,500	

अन्य

16 रोकड़ वही का रख रखाव न करने बारेः–

एल0आर0सी0 अम्ब के अंकेक्षण में पाया गया कि संस्था के अन्तर्गत तीन शीर्षों में आय प्राप्ति की गई थी तथा व्यय किया गया था परन्तु निम्नानुसार इन तीन शीर्षों की रोकड़ वही का रख रखाव नहीं किया गया था। अंकेक्षण द्वारा आय की जॉच एवं जमा की पुष्टि कम्पयूटर से प्राप्त प्रतियों से की गई तथा भुगतान सम्बन्धी पुष्टि भुगतान वाऊचरों से सम्बन्धित पास बुकों से भी की गई। अतः इन शीर्षों की रोकड़ वही का रख रखाव इनके आरम्भ होने की तिथि से लगातार किया जाए।

	शीर्ष	आरम्भ होने की तिथि	टिप्पणी
1	(i) एल0आर0सी0 ई प्रमाण पत्र	3/2006	ई प्रमाण पत्र माह 3/2006 से आरम्भ हुई तथा माह 10/2007 से दैनिक संग्रहण रजिस्टर का रख रखाव आरम्भ किया गया। माह 10/2007 से पूर्व किसी भी प्रकार अभिलेख बैंक पास बुक के अलावा उपलब्ध नहीं था।
	(ii) नकल जमाबन्दी	11/2006	नकल जमाबन्दी माह 11/2006 से आरम्भ हुई तथा माह 11/2006 से दैनिक संग्रहण रजिस्टर का रख रखाव किया गया।
2	एल0आर0सी0 रजिस्ट्रेशन (हिमरिस) अम्ब	2/2006	दिनांक 7.10.2010 से रोकड़ वही का रखरखाव किया गया तथा आरम्भिक शेष कांगड़ा सैन्ट्रल को–ऑप्रेटिव बैंक अम्ब के खाता संख्या 2003405 से ₹5,90,663 लिया गया।
3	एल0आर0सी0 अम्ब (उपायुक्त से प्राप्त अनुदान)	–	बिल रजिस्टर का रख रखाव किया गया।

17 Daily Collection Register का निर्माण न करने बारेः–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि आर0एल0ए0 अम्ब द्वारा Daily collection Register का निर्माण नहीं किया गया है जिसके अभाव में आय की सही प्रकार से जॉच नहीं की जा सकी। अतः उपरोक्त रजिस्टर यथाशीध्र तैयार करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

18 भण्डार रजिस्टर का रखरखाव न करने बारेः–

एल0आर0सी0 अम्ब द्वारा उपभोज्य एवं अनुपभोज्य मदों का क्रय किया गया परन्तु क्रय की मदों को भण्डार पंजिका में दर्ज नहीं किया गया जिसके अभाव में एक निश्चित अवधि को किसी भी मद की बकाया मात्रा शेष है, की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः वांछित अभिलेख शीध्र तैयार किया जाए।

19 प्रत्यक्ष सत्यापनः–

नियमानुसार भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन सक्षम अधिकारी द्वारा प्रतिवर्ष किया जाना अनिवार्य है परन्तु जॉच में पाया गया कि एल0आर0सी0 अम्ब के भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन्न नहीं किया गया। अतः वांछित कार्यवाही करके अनुपालना से इस विभाग को शीध्र अवगत करे।

20 ई–गवर्नेस सोसाईटी ऊना से वित्तीय तथा अन्य मदों का मिलान करने बारेः–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि अंकेक्षणाधीन अवधि में एल0आर0सी0 अम्ब द्वारा समय–समय पर यूजर्स चार्जिस का हिस्सा ई–गवनेस सोसाईटी ऊना को भेजा गया। ई–गवर्नेस सोसाईटी ऊना द्वारा भी समय–समय एल0आर0सी0 अम्ब को "Contingent" व्यय हेतु फण्ड भेजे तथा सितम्बर 2009 तक तो ई–गवर्नेस सोसाइटी ऊना द्वारा एल0आर0सी0 सैन्टर के प्रयोग हेतु विभिन्न उपभोज्य एवं अनुपभोज्य मदों पर काफी व्यय किया गया परन्तु अंकेक्षण अवधि के दौरान इन वित्तीय तथा अन्य मदों का एल0आर0सी0 अम्ब द्वारा सम्बन्धित विभाग से मिलान नहीं किया गया जिसका मिलान करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

20 लघु आपत्ति विवरणिकाः– इसे अलग से जारी नहीं किया गया क्योंकि समस्त आपत्तियों का निपटारा स्थल पर कर लिया गया।

21 निष्कर्षः– लेखों में सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/–
सहायक निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)-(xii)-3/2012 खण्ड–1–728–'731 दिनांक,16.02.2012शिमला–171009

पंजीकृत प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1 तहसीलदार, तहसील अम्ब, जिला ऊना को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर अतिशीघ्र इस विभाग को भेजना सुनिश्चित करें।
2 उप मण्डल दण्डाधिकारी अम्ब, जिला ऊना, हि0प्र0
3 उपायुक्त एवं अध्यक्ष ई–गवर्नेन्स सोसाईटी, जिला ऊना, हि0प्र0।
4 श्री जितेन्द्र सिंह, अनुभाग अधिकारी द्वारा.....................................

हस्ता/–
सहायक निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.